परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

वेस्टर्न सेक्टर, अणुशक्तिनगर, मुंबई Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai – 400094

शैक्षणिक सत्र 2019-2020 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बच्चों के प्रवेश तथा I-XII तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों (एनडी-1 से एनडी-4) के बच्चों हेतु प्रवेश परिपत्र

इस परिपत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के तहत परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए कक्षा I से XII में प्रवेश चाहने वाले बच्चों के लिए प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश हैं।

शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प.ऊ.कें.विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कक्षा-। में प्रवेश स्वीकार किए जा रहे हैं। सभी केन्द्रों के अन्य गैर-प.ऊ.वि. के बच्चों (एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों) को भी इस परिपत्र के द्वारा कक्षा I से XII में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अनुमति है।

प.ऊ.कें. विद्यालयों में गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश की अनुमति उस विद्यालय में प.ऊ.वि. और आर.टी.ई. प्रवेश पूरा होने के बाद संबंधित कक्षाओं में सीट उपलब्धता के अधीन है।

गैर-प.ऊ.वि. श्रेणी के तहत प्रवेश के कारण कोई अतिरिक्त वर्ग/सेक्शन चालू नहीं किया जा सकता ।

प्रवेश फार्म जारी एवं स्वीकार होने मात्र से ही गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के विद्यार्थियों को प्रवेश की गारंटी नहीं होगी ।

1. प्रवेश की पद्धति

क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा । में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों हेतु प्रवेश पद्धति

यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कक्षा । में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक हैं तो संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालय प्रमुख ड्रॉ पर्ची विधि(सिस्टम ऑफ ड्रॉ ऑफ लाट्स) के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त निर्धारित सीटों की संख्या (उपर्युक्तानुसार) भर सकते हैं। ड्रॉ की पर्ची निकालने के लिए समिति का गठन संबंधित अध्यक्ष, स्था.प्र.स. द्वारा किया जाएगा जो साधारणतः केवी विद्यालयों में अनुसरण किए जा रहे दिशानिदेशों के अनुसार होगा ।

ड्रॉ की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठनः

संबंधित अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति ड्रॉ की पर्चियां निकालने के लिए (केवल कक्षा । में प्रवेश हेतु) एक समिति का गठन करेगी ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश देने हेतु जो भी प.ऊ.कें. विद्यालय संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के साथ ऑनलाइन पंजीकृत हैं, वे कक्षा । में दिये जा सकने वाले प्रवेशों (एडमिशन) की संख्या की सूचना संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों को दें और केवल उसी सीमा तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दिए जाने चाहिए।

वैसे विद्यालय जो राज्य सरकार के साथ ऑनलाइन पंजीकृत हैं उन्हें नीचे दिए गए शिक्षा का अधिकार प्रवेश कार्यक्रम पालन करने की आवश्यकता नहीं हैं। वे राज्य सरकार की कार्यक्रम का पालन करेंगे ।

जहां भी प.ऊ.कें.विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार प्राधिकारियों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के नाम मांगे जा रहे हैं, वहां संस्था के प्रमुखों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश हेतु पालन किए जा रहे 'आयु मानदंड' के बारें में राज्य सरकार प्राधिकारियों को सूचित करें। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि केवल 31 मार्च, 2019 को 5 (पांच) वर्षों की आयु पूरा कर चुके विद्यार्थी ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा । में प्रवेश हेतु पात्र है और केवल ऐसे बच्चों के ही नाम प.ऊ.कें.विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा । में प्रवेश हेतु अग्रेषित किए जाए।

शिक्षा का अधिकार प्रवेश परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की दिशा-निर्देशों के अनुसार या राज्य सरकार के आबंटन अनुसार स्वीकार करना है से संबधित निर्णय स्थानीय प्रबंध समितियों के परामर्श से संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालयों के प्रमुख को लेनी है।

किसी भी परिस्थितियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश दोनों माध्यमों अर्थात् प.ऊ.शि.सं. के दिशानिर्देशों एवं राज्य सरकार ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी नहीं दिया जा सकता हैं। प.ऊ.कें.विद्यालयों के प्रमुखों को इनमें से किसी एक का चयन करना होगा।

प.ऊ.कें. विद्यालयों के प्रमुख कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधानों के तहत कक्षा I में प्रवेश दिए जा रहें विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक नहीं होने चाहिए।

ख) गैर-प.ऊ.वि. के तहत प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों हेतु प्रवेश पद्धति

प्रवेश परीक्षा :

- कक्षा I से VIII में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों हेतु **कोई प्रवेश परीक्षा नहीं हैं**।
- कक्षा IX एवं X के लिए **प्रवेश परीक्षा** आयोजित की जाएगी। जिस कक्षा में प्रवेश मांगा जा रहा है उससे पूर्व की कक्षा के सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य विज्ञान विषयों पर परीक्षा होगी। परीक्षा 3 घंटो की और अधिकतम 100 अंकों की होगी जिसमें उपर्युक्त सभी उल्लेखित विषयों को शामिल किया जाएगा। प्रवेश हेतु प्रत्येक विषय में अर्हक अंक 33% होंगे।

2. पात्रता

क. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कक्षा I में प्रवेश हेतु पात्रताः

स्थानीय क्षेत्र में रह रहें 01/04/2012 को या इसके बाद और 31/03/2014 को या इससे पहले जन्म लेने वाले वैसे बच्चे जो सुविधा वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से हैं वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश हेतु पात्र हैं।

जहां भी प.ऊ.कें.विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार प्राधिकारियों से शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के नाम मांगे जा रहे हैं, वहां संस्थाओं के प्रमुखों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे प.ऊ.शि.सं. में प्रवेश हेतु पालन किए जा रहे 'आयु मानदंड' के बारें में राज्य सरकार प्राधिकारियों को सूचित करें। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि केवल 01/04/2012 को या इसके बाद और 31/03/2014 को या इससे पहले जन्म लेने वाले बच्चें ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा I में प्रवेश हेतु पात्र हैं और केवल ऐसे बच्चों के ही नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा I में प्रवेश हेतु अग्रेषित किए जाए।

<u>सुविधा वंचित समूह (डिसएडवांटेज ग्रुप) की परिभाषा</u>

1. सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिक या समुचित सरकार की अधिसूचना (आरटीई एक्ट की सेक्शन 2(डी)) द्वारा निश्चित किये गये किसी किसी अन्य कारणों से सुविधा वंचित हो।
2. विशेष जरूरतों वाले और अशक्तता से पीड़ित बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

<u>कमजोर वर्ग की परिभाषा</u>

कमजोर वर्ग के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जिनके माता-पिता या अभिभावक (कोर्ट या कानून द्वारा घोषित) की वार्षिक आय समुचित सरकार की अधिसूचना (आरटीई एक्ट की सेक्शन 2(ई)) द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगा।

स्थानीय की परिभाषा और निवास का प्रमाण

प.ऊ.कें.विद्यालय अलग-अलग राज्यों में स्थापित हैं इसलिए स्थानीय की परिभाषा हेतु संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

ख. गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों (एनडी-1 से एनडी-4) के तहत प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों हेतु पात्रताः

I) संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालयों द्वारा या समन्वयक विद्यालय जहां एक से अधिक विद्यालय हैं, द्वारा आवेदन फार्म जारी करने से पहले प्रत्येक कक्षा में एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों के अंतर्गत गैर-प.ऊ.वि. के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सीटों/रिक्ति, यदि कोई हो, की स्थिति सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। किसी कक्षा के प्रत्येक वर्ग (सेक्शन) की आधार क्षमता के आधार पर उस कक्षा में गैर-प.ऊ.वि. प्रवेशों से संबंधित रिक्तियों की संख्या निकाली जायेगी। **प्रवेश फार्म जारी एवं स्वीकार होने मात्र से ही गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के विद्यार्थियों को प्रवेश की गारंटी नहीं होगी।**

II) प.ऊ.कें.विद्यालयों में रिक्त सीटों, यदि कोई हो, पर प्रवेश चाहने वाले गैर-प.ऊ.वि. के बच्चों की श्रेणियाँ निम्नवत हैः

श्रेणी कोड	विवरण
एनडी-1	प.ऊ.वि. परियोजना हेतु जमीन अधिगृहीत की गई परियोजना प्रभावित लोगों के बच्चे (केवल प्रथम पीढ़ी हेतु लागू)
एनडी-2	प.ऊ.वि. (अर्थात् सौशिल्या, महत्व, विशेष बच्चों हेतु विद्यालय, सहकारी क्रेडिट समिति, बैंकों, डाकघर इत्यादि) में कार्यरत केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों के बच्चें तथा प.ऊ.वि. परियोजनाओं हेतु कार्य कर रहें संविदाकारों के कर्मचारियों के बच्चें तथा रक्षा/अर्धसैनिक बल कार्मिक के बच्चें या उनकी विधवाओं के बच्चें।
एनडी-3	प.ऊ.वि. में सेवारत/से सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के नाती-पोते (एक कर्मचारी हेतु एक प्रवेश)। प.ऊ.शि.सं. के कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त या दिवंगत) के नाती-पोते को वरीयता दी जाएगी।
एनडी-4	प.ऊ.वि. इकाईयों के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बच्चें।

नोट:

(i) सीटों की उपलब्धता के अधीन एनडी-1 से एनडी-4 श्रेणियों हेतु गैर-प.ऊ.वि. प्रवेशों पर विचार किया जाए। किसी भी स्थिति में गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश के लिए किसी भी कक्षा में वर्गों की संख्या बढ़ाई नहीं जानी चाहिए।

(ii) **नरौरा, रावतभाटा, काकरापार, तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, कल्पाक्कम एवं अणुपुरम, मणुगुरु, जादुगुडा, नरवापहाड़, तुरामडीह तथा पलयकायल स्थित विद्यालयों के लिए स्थानीय स्थितियों की मांग जो समय-समय पर तथा एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर भिन्न हो सकते हैं, के अनुसार गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के प्राथमिकता-क्रम के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्थानीय प्रबंध समितियाँ अधिकार प्राप्त हैं।**

(iii) **मुंबई, इंदौर, हैदराबाद एवं मैसूर स्थित विद्यालयों के लिए गैर-प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश हेतु प्राथमिकता-क्रम सामान्यतः गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों की योग्यताक्रम में ही होगा।**

(iv) संबंधित अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति कृपया गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश की स्वीकृति के लिए विशिष्ट संस्तुतियों के साथ गैर-प.ऊ.वि. विद्यार्थियों की सूची केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. को अनुमोदन के लिए अग्रेषित करें।

III) **गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. की पूर्व अनुमोदन से दिया जाना चाहिए जो संबंधित अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति की संस्तुतियों पर आधारित होगा।**

IV) **यदि एक से अधिक श्रेणी अर्थात् शिक्षा का अधिकार एवं अन्य गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों (एनडी1 – एनडी4) के तहत प्रवेश मांगा जाता है तो अलग-अलग आवेदन फार्म जमा किया जाना आवश्यक है।**

3. आयु मानदंड (गैर-प.ऊ.वि. हेतु)

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए **31 मार्च, 2019 को न्यूनतम और अधिकतम आयु पात्रता** निम्नलिखित हैः

कक्षा	श्रेणी	जिस वर्ष में प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	जिस वर्ष में प्रवेश मांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	गैर-प.ऊ.वि.	5 वर्ष	7 वर्ष
II	गैर-प.ऊ.वि.	6 वर्ष	8 वर्ष
III	गैर-प.ऊ.वि.	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	गैर-प.ऊ.वि.	8 वर्ष	10 वर्ष
V	गैर-प.ऊ.वि.	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	गैर-प.ऊ.वि.	10 वर्ष	12 वर्ष
VII	गैर-प.ऊ.वि.	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	गैर-प.ऊ.वि.	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	गैर-प.ऊ.वि.	13 वर्ष	15 वर्ष
X	गैर-प.ऊ.वि.	14 वर्ष	16 वर्ष

4. आवेदन फार्म

क. शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यक्रम के तहत कक्षा-। में प्रवेश चाहने वाले छात्रों हेतु आवेदन फार्म (जहां स्वयं विद्यालय द्वारा प्रवेश लिए जाते है)

आवेदन फार्म परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फार्म विद्यालय/कनि.महाविद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) या मल्टीपल विद्यालय केन्द्र की स्थिति में समन्वयक विद्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

अथवा

आवेदन फार्म प.ऊ.कें.विद्यालय/कनि.महाविद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) के कार्यालय से या मल्टीपल विद्यालय केन्द्रों की स्थिति में समन्वयक विद्यालय से भी खरीदा जा सकता है । विधिवत भरा हुआ फार्म उसी विद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) में या मल्टीपल विद्यालय केन्द्र की स्थिति में समन्वयक विद्यालय में जमा करना होगा। तथापि अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति मल्टीपल विद्यालय केन्द्रों के लिए फार्म संग्रहण और जमा करने हेतु किसी विशेष विद्यालय/कनि.महाविद्यालय को चयन/निर्धारित कर सकते है।

ख. गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए आवेदन फार्मः

आवेदन फार्म परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म रु.100/- आवेदन शुल्क के साथ विद्यालय/कनि.महाविद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) में या मल्टीपल विद्यालय केन्द्र की स्थिति में समन्वयक विद्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

अथवा

आवेदन फार्म रु.100/- आवेदन शुल्क का भुगतान कर प.ऊ.कें.विद्यालय/कनि.महाविद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) के कार्यालय से या मल्टीपल विद्यालय केन्द्र की स्थिति में समन्वयक विद्यालय से भी खरीदा जा सकता है। विधिवत भरा हुआ फार्म उसी विद्यालय (एकल विद्यालय केन्द्र) में या मल्टीपल विद्यालय केन्द्र की स्थिति में समन्वयक विद्यालय में जमा किया जाना चाहिए। तथापि अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति मल्टीपल विद्यालय केन्द्रों के लिए फार्म संग्रहण और जमा करने हेतु किसी विशेष विद्यालय/कनि.महाविद्यालय को चयन/निर्धारित कर सकते है।

5. प्रवेश(एडमिशन) कार्यक्रम

क. शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए प्रवेश कार्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख	समय
01	कक्षा । के लिए प्रवेश (एडमिशन) फार्म का वितरण	फरवरी, 28 से मार्च 2, 2019	2 अप. से 5 अप.
02	सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ प्रवेश फार्म जमा करना	मार्च 5 एवं 6, 2019	2 अप. से 5 अप.
03	कक्षा । में प्रवेश हेतु पात्र और अर्ह पाए गए छात्रों की सूची का प्रदर्शन	मार्च 13, 2019	2.00 अप.
04	कक्षा । हेतु आर.टी.ई. बच्चों का प्रवेश	मार्च 16, 2019	9 पूर्वा. से 12 पूर्वा.

ख. गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए प्रवेश कार्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम	तारीख	समय
1	कक्षा I से X के लिए प्रवेश(एडमिशन) फार्म का वितरण	मार्च 7 एवं 8, 2019	11 पूर्वा. से 1 अप.
2	सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ प्रवेश फार्म जमा करना	मार्च 12, 2019	11 पूर्वा. से 3 अप.
3	कक्षा IX और X के लिए प्रवेश परीक्षा	मार्च 14, 2019	9 पूर्वा. से 12 दोपहर
4	प्रवेश के लिए पात्र छात्रों की सूची का प्रदर्शन (सभी कक्षाओं की)	मार्च 25, 2019	4 अपराह्न
5	कक्षा I हेतु पात्र गैर-प.ऊ.वि. छात्रों का प्रवेश	मार्च 26, 2019	9 पूर्वा. से 1.00 अप.
6	रिपोर्ट कार्ड एवं टीसी के साथ कक्षा II से X हेतु पात्र छात्रों का प्रवेश	मार्च 29, 2019*	10 पूर्वा. से 12 दोपहर
7	कक्षा XI एवं XII में प्रवेश	बोर्ड परिणाम के बाद प्रवेश दिए जायेंगे	

नोट:

(i) केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

(ii) संबंधित प.ऊ.कें.विद्यालयों/समन्वयक विद्यालयों जहां प्रवेश चाहिए में यथास्थिति आवेदन/प्रवेश फार्म का वितरण एवं इसके जमा, सूची प्रदर्शन, अंतिम प्रवेश इत्यादि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।

(iii) *ऐसे छात्रों जो टी.सी. जमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ मामलों में परीक्षा परिणाम की घोषणा 31 मार्च के बाद की जाएगी, ऐसे सभी मामलों में वास्तविक उत्तीर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर अनंतिम प्रवेश स्वीकृत किया जा सकता है।

6. शुल्क :

क. शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों हेतु शुल्कः

शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा I में प्रवेश पाने वाले छात्रों से कक्षा- VIII पूरा करने तक शुल्क नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे कर्मचारियों जिनको अपने विभाग में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त हैं वे शिक्षा का अधिकार रियायत का दावा नहीं कर सकते हैं।

ख. गैर-प.ऊ.वि.श्रेणियों के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए शुल्क

प्रवेश के समय एक शैक्षणिक सत्र हेतु छः महीनों/बारह महीनों के लिए शुल्क लिया जाएगा। तथापि, शेष शुल्क, यदि लागू हो, उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में भुगतान किया जाना चाहिए।

शुल्क संरचना निम्नलिखित है:

श्रेणी	कक्षा	शिक्षा शुल्क (प्रति माह)	प.ऊ.वि.वि.नि. शुल्क (प्रति माह)	कम्प्यूटर शुल्क (प्रति माह)
शहरी क्षेत्रों जैसे मुंबई, इंदौर, हैदराबाद और मैसूर स्थित प.ऊ.कें.विद्यालयों में प्रवेश चाहने वाले गैर-प.ऊ.वि. छात्रों के संबंध में	I से V	3000	300	30
	XI एवं XII	3000	300	50
अन्य सभी केन्द्रों पर स्थित प.ऊ.कें.विद्यालयों (इस तालिका के क्रम सं. 1 पर उल्लेखित विद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश चाहने वाले गैर-प.ऊ.वि. छात्रों के संबंध में	I से X	1500	300	30
	XI एवं XII	1500	300	50

गैर-प.ऊ.वि. छात्रों हेतु शुल्क रियायत:

i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं सामाजिक संवर्द्धन शिक्षा कार्यक्रम (एसईईपी) (पूर्व कथित प्रतिभा पोषण कार्यक्रम-टीएनपी) के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

ii) **शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के अंत तक प्रवेश पाने वाले गैर-प.ऊ.वि. के छात्र प.ऊ.कें. विद्यालयों में अपने अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने तक या प.ऊ.कें. विद्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शुल्क रियायत के हकदार हैः**

क) **गैर-प.ऊ.वि. के ऐसे सभी छात्रों जिनके माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे(बीपीएल) हैं उन्हें केवल शिक्षा-शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त हैं बशर्ते कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हो।**

ख) **गैर-प.ऊ.वि. के ऐसे सभी छात्रों (बालकों एवं बालिकाओं) जिनके माता-पिता (माता एवं पिता दोनों) की संयुक्त वार्षिक आय रु.1,50,000/- प्रति वर्ष (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुति के अधीन) से कम हैं तो उन्हें गैर-प.ऊ.वि. के छात्रों हेतु परिशोधित शिक्षा-शुल्क का 50% की सीमा तक शुल्क रियायत की स्वीकृति दी जाएगी । तथापि, इस तरह की शिक्षा शुल्क रियायत प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों हेतु निर्धारित शिक्षा-शुल्क से कम नहीं होने चाहिए। दूसरे शब्दों में गैर-प.ऊ.वि. के छात्रों जो 50% परिशोधित शिक्षा शुल्क रियायत का लाभ लेते हैं उन्हें कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में प.ऊ.वि. छात्रों के लिए यथा निर्धारित रु. 900/- प्रति माह का भुगतान करना होगा। शहरी क्षेत्रों में ऐसे गैर-प.ऊ.वि. के छात्रों को 50% रियायत का लाभ उठाने के बाद परिशोधित शिक्षा शुल्क रु. 1500/- प्रति माह का भुगतान करना होगा।**

iii) **01.04.2018 (अर्थात् शैक्षणिक वर्ष 2018-19) से प्रवेश दिए गए सभी गैर-प.ऊ.वि. छात्र किसी शुल्क रियायत के हकदार नहीं है।**

iv) **अतः शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान प्रवेश चाहने वाले सभी गैर-प.ऊ.वि. छात्र (बालकों एवं बालिकाओं) किसी शुल्क रियायत के हकदार नहीं हैं।**

7. जमा किए जाने वाले दस्तावेज

क. शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा I में प्रवेश चाहने वाले छात्रों हेतु जमा किए जाने वाले दस्तावेजः

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेश हेतु निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित विद्यालयों में प्रवेश लेते समय प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैः

- जन्म पंजीयन करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र के रूप में आयु प्रमाणपत्र। इसमें संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की सील व हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकित ग्राम पंचायत के रिकार्ड से ली गई जन्म तिथि आधार पर अधिसूचित क्षेत्र परिषद/नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र भी शामिल है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ईडब्ल्यूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) / बीपीएल / दिव्यांग, जहां लागू हो, के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/संघ सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बच्चे का प्रमाणपत्र। यदि बच्चे का यह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो प्रवेश प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता का प्रमाणपत्र आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए । तथापि, प्रवेश की तारीख से 3 महीनों के अंदर बच्चे का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दिव्यांग बच्चे के सत्यापन हेतु, जहां भी लागू हो, सिविल सर्जन/पुनर्वास केन्द्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र। उन मामलों में जहां बच्चे की दिव्यांगता प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाणपत्र के बच्चे के दिव्यांगता को मान लिया जाए । तथापि, माता-पिता को सलाह दी जाए कि सक्षम प्राधिकारी से संगत प्रमाणपत्र प्राप्त करें तथा उसे विद्यालय में जमा करें।
- निवास प्रमाण

नोट : सभी आवेदकों को निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

ख) गैर-प.ऊ.वि. श्रेणियों के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज

- कक्षा-I के लिए : नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र **अथवा** संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी के सील व हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकित पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र के बदले में शपथ-पत्र (एफिडेविट) आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

- कक्षा II-XII के लिए : II से XII तक की किसी कक्षा में प्रवेश चाहने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी पिछले विद्यालय से जारी विधिमान्य एवं मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए टी.सी. पर प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य(यदि प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं है तो) का हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि पिछले विद्यालय के टी.सी. में जन्म स्थान नहीं दर्शाया गया है तो बच्चे का जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सीबीएसई संबद्ध/राज्य बोर्ड विद्यालय से आने वाले छात्रों के संबंध में संबंधित शिक्षा अधिकारी द्वारा टी.सी. प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।

- एनडी-1 श्रेणी से संबंध रखने वाले बच्चों के माता-पिता संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् राजस्व विभाग एवं प.ऊ.वि. इकाई द्वारा जारी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

- ऐसे माता-पिता जो अधिवर्षिता प्राप्त या सेवा के दौरान अमान्य हुए हैं, और एनडी-2 श्रेणी के तहत अपने बच्चों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र या अमान्यकरण प्रमाणपत्र या प.ऊ.वि. में उनके रोजगार का समर्थन करता प.ऊ.वि. प्राधिकारी का प्रमाणपत्र, यथा लागू, जमा करना चाहिए। ऐसे माता-पिता जो प.ऊ.वि. में सेवा के दौरान दिवंगत हुए हैं के बच्चों को समर्थन में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- एनडी-2 श्रेणी के तहत बच्चों के लिए आवेदन कर रहें प.ऊ.वि. क्रियाकलापों में शामिल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों और/अथवा प.ऊ.वि. में कार्यरत माता-पिता को नवीनतम वेतन-पर्ची के साथ अपनी तैनाती आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा। विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म पर स्थानीय प.ऊ.वि. इकाई के प्रशासनिक प्राधिकारियों का प्रतिहस्ताक्षर लेने के बाद उसे विद्यालय प्राधिकारियों को जमा करना होगा।

- प.ऊ.वि. इकाईयों में कार्यरत मुख्य संविदाकारों के कर्मचारियों के रूप में एनडी-2 श्रेणी के तहत बच्चों के लिए आवेदन कर रहें माता-पिता को नवीनतम वेतन पर्ची के साथ अपनी तैनाती आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा। विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म पर स्थानीय प.ऊ.वि. इकाई के प्रशासनिक प्राधिकारियों का प्रतिहस्ताक्षर लेने के बाद उसे विद्यालय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा ।

- एनडी-2 के तहत आवेदन कर रहें रक्षा कार्मिक/अर्ध-सैनिक कार्मिक या उनकी विधवाओं के बच्चों द्वारा एक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उनके माता-पिता रक्षा कार्मिक हैं/थे।

- एनडी-4 श्रेणी से संबंध रखने वाले बच्चों के माता-पिता निवास प्रमाण प्रस्तुत करें ।

- उपर्युक्त सभी श्रेणियों के गैर-प.ऊ.वि. माता-पिता को प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपने संबंधित नियोक्ता द्वारा जारी नवीनतम वेतन प्रमाणपत्र की मूल प्रति या राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

- सभी माता-पिता से अनुरोध है कि विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो जाने के तत्काल बाद संबंधित विद्यालय प्रमुख से जन्म प्रमाणपत्र की मूल प्रति वापस संग्रह कर लें जबकि रिकार्ड हेतु जन्म प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित प्रति विद्यालय में रखी जाएगी।

- प्रवेश लेते समय मूल टी.सी. प्रस्तुत की जानी है । यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ना चाहता है तो मूल टी.सी. लौटाई नहीं जाएगी ।

- अंतिम कक्षा जिसकी वार्षिक परीक्षा दी गई, के रिपोर्ट कार्ड की छायाप्रति।

- संबंधित प.ऊ.वि. इकाई आबंटन अनुभाग द्वारा जारी निवास आबंटन पत्र की छायाप्रति, जहां भी लागू हो।

- संघटक प.ऊ.वि. प्राधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित नवीनतम वेतन पर्ची, यदि शुल्क रियायत चाहते है तो, शुल्क भुगतान के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो। शुल्क रियायत का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी के नाम से जारी जाति प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता के जाति प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बच्चों की स्थिति संबंधी शपथपत्र(एफिडेविट) प्रस्तुत करने पर ही शुल्क रियायत दी जाएगी।

नोट :

i. **गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश की स्वीकृति हेतु मल्टीपल विद्यालय केन्द्र में विद्यालय-वार आवेदन आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे गैर-प.ऊ.वि. विद्यार्थियों के लिए कोई क्षेत्र/बिल्डिंग क्षेत्राधिकार अनुबंधित नहीं किया जाएगा।**

ii. **गैर-प.ऊ.वि. माता-पिता से लिखित में एक वचनबंध/घोषणा लिया जाए कि उनके बच्चों को उस केन्द्र/आवासीय कॉलोनी के एक विशेष विद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति दी गई हैं, और ऐसे सभी गैर-प.ऊ.वि. प्रवेश उनके पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी विशेष केन्द्रों/आवासीय कॉलोनी के प.ऊ.कें.विद्यालयों के बीच अंतः परिवर्तन के अधीन होगा।**

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया www.aees.gov.in देखें। वेबसाइट पर आवेदन फार्म एवं जानकारी विवरण भी देखे जा सकते हैं।

(स्वप्रेश कुमार मल्होत्रा)
(सचिव, प.ऊ.शि.सं.)

सेवा में
परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
2. सचिव, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
3. अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति, प.ऊ.कें.वि./कनि.
4. प्रमुख, कार्मिक प्रभाग, भा.प.अ.कें.(व्यापक प्रचार हेतु अनुरोध सहित सूचना पट्ट के लिए 10 प्रतियाँ)
5. रजिस्ट्रार, टीआईएफआर, मुंबई 400 005
6. मु.प्र.अ., भा.पा.बो. कार्यालय, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400 094
7. मु.प्र.अ., डीसीएस एंड ईएम, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400094
8. सी.ए. एंड ए.ओ., टीएमसी, परेल, मुंबई- 400 012
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
10. अवर सचिव, प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई – 400 001
11. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, वी.एस. भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 94
12. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, कफे परेड, मुंबई 400 005
13. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, सीबीडी बेलापुर
14. प्रशासनिक अधिकारी-।।।, प.उ.शि.सं., मुंबई
15. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीएस, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400 094
16. प्रशासनिक अधिकारी, एचबीसीएसई, अणुशक्तिनगर, मुंबई
17. प्रशासनिक अधिकारी, ब्रिट, अणुशक्तिनगर, या वाशी (नवी मुंबई)
18. प्रशासनिक अधिकारी, एईआरबी, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400 094
19. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शैक्षणिक इकाई,प.ऊ.शि.सं., मुंबई
20. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
21. प्रशासनिक अधिकारी-।।, प.ऊ.शि.सं.,मुंबई

22. स.प्र.अधिकारी, (स्था/भ.नि. एवं वेतन/बिल), प.ऊ.शि.सं., केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई
23. प्रभारी अधिकारी, का.एवं गो. अनुभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई
24. प्रभारी अधिकारी, क्रय प्रकोष्ठ एवं सामान्य प्रशासन, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई
25. डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ, प.ऊ.शि.सं.
26. फाइल 99
27. मास्टर फाइल